भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1298
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में अत्याधुनिक तकनीकों का एकीकरण

1298. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ड्रोन पानी, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए और मानवीय श्रम को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि में क्रांति ला सकता है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी को किफायती बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के अधीन आने वाले संस्थान उत्पादन और उत्पादन उपरांत कृषि के लिए विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे कृषि मशीनीकरण प्रौद्योगिकियों/मशीनों के विकास में सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और रोबोटिक्स का उपयोग, विजन गाइडेड ए.आई.-सक्षम रोबोटिक एप्पल हार्वेस्टर, इमेज (विजुअल और एक्स-रे) आधारित आम की सॉर्टिंग और ग्रेडिंग प्रणाली और केले की आपूर्ति श्रृंखला के लिए ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी के साथ सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) आधारित रियल टाइम इंटेलिजेंट मानिटरिंग और नियंत्रण प्रणाली, भंडारण के दौरान डिजिटल ट्विन्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करके रियल टाइम फल गुणवत्ता निगरानी, फलों और सब्जियों के लिए फेज़ चेंज मटीरियल (पी.सी.एम.) आधारित एनर्जी एफ़िसिएंट वैंडिंग कार्ट, एथिलीन डिग्रेडेशन के लिए विजिबल लाइट इंड्यूस्ड फोटोकैटेलिटिक रिएक्टर आदि।

(ग) और (घ): कृषि में ड्रोन के उपयोग के कई फायदे हैं जैसे कि मनुष्यों का खतरनाक रसायनों के संपर्क में कम आने के अलावा दक्षता में वृद्धि, छिड़काव की लागत में कमी के कारण लागत प्रभावशीलता, उच्च स्तर के परमाणुकरण (एटमीजेशन) के कारण उर्वरकों और कीटनाशकों की बचत, अल्ट्रा-लो वॉल्यूम छिड़काव के कारण पानी की बचत। कृषि में ड्रोन के उपयोग से कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार सृजित करने में काफी प्रेरक प्रभाव भी पड़ता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों द्वारा किसान ड्रोन को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.) के तहत किसानों के खेतों पर किसान ड्रोन के प्रदर्शन, किसानों द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ड्रोन की खरीद और किसानों को किराये के आधार पर ड्रोन की सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान ड्रोन के कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत के 80% की दर से अधिकतम 8.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) का प्रावधान है। योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले लक्षित कुल 15,000 ड्रोन में से पहले 500 ड्रोन वर्ष 2023-24 में लीड फर्टिलाइज़र कंपनियों (एल.एफ.सी.) द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके खरीदे गए हैं और चयनित स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3090 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य है।

*****